

उनवान:- अमरसिंह बनाम महेश बगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक

फर्द अहकाम

05.2023

सायल की और से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट हाजिर सायल अधिवक्ता के अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा सायलान के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा।

प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील सायलान को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को दिनांक 11.07.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख०न० 1910/0.14 है०, 1912/0.17 है० ग्राम भोंटवाडा में आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार टोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11.07.2023 को पेश हो।

(गौरव कुमार मित्तल)

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम जिला, करौली

112  
23

वादी वकील/वकील उमय पक्ष अस्थित  
पीठासीन अधिकारी... राजकार... से बाहर पधारे है।  
पत्रावली गतानुसार दिनांक... 8: 8: 23  
को पेश हो।



फर्द अहकाम

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

पत्तापत्ती पेशकरी / प्राचीन उप प्राचीन कौड़ी  
 कौड़ी उपस्थित नहीं जाए जावाजे दिखई गई  
 इसके उपपत्र भी कौड़ी उपस्थित नहीं  
 हुआ इमालेस प्राचीन उप प्राचीन वकीलका  
 प्राचीन पत्र कास्यणी सिपे ध्याशा प्राचीन  
 प्राचीन वकीलकी कास्यणी कास्यणी कास्यणी  
 के द्वारा जिया जाला है। पत्तापत्ती  
 पेशकरीका टैक नम्बर के कम करवावे  
 इफ्त है।